

मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक/ एफ 4-89/2018/1-25

भोपाल, दिनांक 20.08.2018

प्रति,

1. आयुक्त,
जनजातीय कार्य,
म. प्र.
2. समस्त कलेक्टर,
म.प्र.
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, म.प्र.
4. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम, म.प्र.
5. समस्त संभागीय उपायुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, म.प्र.
6. समस्त सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजक
जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, म.प्र.
7. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका/नगर परिषद, म.प्र.

विषय:-मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शैक्षणिक संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग की जनजातीय विभाग में नियुक्ति किये जाने संबंधी प्रक्रिया ।

--00--

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम, 2018 दिनांक 8.8.2018 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किये गये हैं । यह नियम 01.07.2018 से प्रवृत्त हैं ।

2- भर्ती नियम 2018 के नियम-5 में उल्लेखित प्रावधान निम्नानुसार है:-

- (1) "मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008" तथा "मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008" के

अधीन 89 आदिवासी विकासखण्डों एवं 224 सामुदायिक विकासखण्डों में विभागीय शैक्षणिक संस्थाओं में नियुक्त और अन्य विहित अर्हताओं की पूर्ति करने वाले वर्तमान में कार्यरत व्यक्ति, विभाग में सेवा के प्रारंभिक गठन के समय नियुक्त किये जायेंगे। इन व्यक्तियों के नियुक्ति आदेश अनुसूची-एक के कॉलम (6) में उल्लेखित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जारी किये जाएंगे।

नियम-2 की खण्ड (ण) में उल्लेखित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को इस उप नियम के अंतर्गत नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(2) मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 और मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 के अधीन नियुक्त सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक को क्रमशः प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

(3) सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला), सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) एवं सहायक अध्यापक (गायन/वादन) को क्रमशः प्रयोगशाला शिक्षक, खेलकूद शिक्षक तथा गायन/वादन शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा

3- उपरोक्त प्रावधानों के तहत नियुक्ति करने के पूर्व शिक्षक की अर्हता की जांच की जाए. नियुक्ति संबंधी निर्णयें निम्नानुसार होंगी -

1. यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप असंचयी रूप से वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया है तो जिस अवधि तक दण्ड का प्रभावी रहेगा, उस अवधि तक उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।

2. यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध किसी ऐसे आपराधिक प्रकरण जो नैतिक अधोपतन के अंतर्गत आता है, मे शासन द्वारा अभियोजन की मंजूरी के उपरांत किसी न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है, तो ऐसे अध्यापक की नियुक्ति, संबंधित प्रकरण में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय तक नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में अध्यापक को दोषमुक्त होने के उपरांत ही नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा।

3. ऐसे अध्यापक जिनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित है, ऐसे प्रकरण में अध्यापक के दोषमुक्त होने के उपरांत ही गुण-दोष के आधार पर नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा।



4. ऐसे अध्यापक जिनका अध्यापक संवर्ग में संविलियन न्यायालयीन निर्णय के अध्याधीन किया गया है, उनके प्रकरणों में न्यायालय के अंतिम निर्णय के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकेगा।

5. ऐसे अध्यापक जो अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, उन अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अर्थात् ऐसे अध्यापकों जिनका विगत 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2018 के मध्य कम से कम 9 माह का वेतन जनरेट नहीं किया गया है और न ही अधिकृत रूप से अवकाश स्वीकृत है, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित माने जायेंगे।

4- सेवा अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया:-

1. अध्यापक संवर्ग अंतर्गत नियुक्त सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला), सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) एवं सहायक अध्यापक (गायन/वादन) के सेवा अभिलेखों का सत्यापन जनजातीय कार्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध (www.tribal.mp.gov.in) "शिक्षक प्रोफाइल पंजीकरण" मॉड्यूल के माध्यम से किया जाएगा।

2. सभी पात्र शिक्षकों के द्वारा जनजातीय कार्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध "शिक्षक प्रोफाइल पंजीकरण" मॉड्यूल www.tribal.mp.gov.in/mptaas/ User On Boarding Aadhaar/Index के माध्यम से जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। यह सेवा समस्त किओस्क केन्द्रों पर उपलब्ध करायी गयी है। शिक्षक को अनिवार्यतः निकटतम किओस्क पर जाकर ही पंजीयन कराना होगा।

3. "शिक्षक प्रोफाइल पंजीकरण" की प्रक्रिया में अध्यापक के व्यक्तिगत विवरण का सत्यापन "आधार eKYC" (केवल Biometrics आधारित) से, जाति विवरण का सत्यापन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से एवं कार्य विवरण एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध डाटा से ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक जानकारी सर्विस बुक के अनुसार शिक्षक द्वारा ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। सभी कॉलम में अन्य डाटाबेस से सत्यापन पश्चात प्राप्त एवं प्रविष्ट की गयी जानकारी की समीक्षा कर शिक्षक के द्वारा आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट करने पर एक यूनिक पंजीकरण नंबर प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से अध्यापक द्वारा भविष्य में आवेदन की वर्तमान स्थिति को प्राप्त किया जा सकेगा।



4. ऑन लाइन प्राप्त आवेदनों को सम्बंधित आहरण संवितरण अधिकारी को उनके लॉग-इन में अवलोकन, अद्यतन एवं डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। प्राप्त आवेदनों में दर्ज जानकारी का मिलान अध्यापक की सर्विस बुक में दर्ज जानकारी से किया जाएगा एवं अन्य जानकारी को आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन ही दर्ज किया जाएगा। जानकारी को ऑन लाइन अद्यतन किया जा सकेगा। निम्न जानकारीयां सही-सही प्रविष्टि की गई हैं, की जांच अध्यापक के सेवा अभिलेख से मिलान कर लेना सुनिश्चित करेंगे :-

1. प्रथम नियुक्ति का आदेश
2. अध्यापक संवर्ग में संविलियन का आदेश
3. जन्मतिथि के प्रमाण पत्र हेतु हाईस्कूल की अंकसूची
4. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र
5. व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र
6. अतिरिक्त योग्यता (यदि कोई हो तो)
7. राष्ट्रीय/राज्य स्तर का पुरस्कार (यदि कोई हो तो)
8. स्व-घोषणा पत्र
9. जाति प्रमाण पत्र/विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र।
10. पदस्थापना स्थल।

सभी प्रविष्टि की सही जानकारी भरकर एवं डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रति पद मुद्रा सहित अपलोड की जाएगी। यदि आहरण एवं संवितरण कार्यालय में उक्त जानकारी अनुपलब्ध हो तो समय सारणी तैयार कर संबंधित प्राचार्यों को बुलाकर सत्यापन कार्य कराया जावे। जानकारी गलत पाए जाने पर कुछ प्रविष्टियाँ अद्यतन की जा सकेंगी अथवा आवेदन कारण दर्शाते हुए अमान्य भी किया जा सकेगा।


5. प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों में केवल ऐसे आवेदन ही अग्रिम कार्यवाही के लिए मान्य किये जायेंगे जो कंडिका-3 के तहत अर्हता रखते हों। इसके सत्यापन की जिम्मेदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी।

5- शिक्षक प्रोफाइल पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों का आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरान्त (अनुमोदित या अस्वीकार) सफलतापूर्वक दर्ज (सबमिट) करने पर यह जानकारी विभागीय जिलाधिकारी (सहायक आयुक्त/जिला संयोजक), संभागीय उपायुक्त एवं मुख्यालय के एडमिन लॉगिन पर समीक्षा एवं अनुमोदन हेतु उपलब्ध होगी। ऐसे शिक्षक जिनके आवेदन का सत्यापन सभी स्तर पर सफलतापूर्वक किया गया है, के नियुक्ति आदेश विभागीय वेबसाइट से ऑनलाइन ही बनाये (generate) जायेंगे एवं नियुक्त शिक्षकों की सूची

87

विभागीय वेबसाइट एवं सम्बंधित जिला, संभाग एवं मुख्यालय के लॉगिन पर उपलब्ध कराई जाएगी।

- 6- आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा जानकारी अद्यतन करने के बाद फार्म का प्रिंट निकालकर प्राप्त अभिलेखों को प्रमाणित कर सुरक्षित रखा जायेगा।
- 7- शिक्षकों के पंजीयन एवं आहरण संवितरण अधिकारी के सत्यापन पश्चात प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति आदेश क्रमशः जिला अधिकारी, संभागीय अधिकारी एवं आयुक्त जनजातीय कार्य द्वारा जारी किये जायेंगे। सक्षम अधिकारी अपने लॉग इन में उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह आदेश जारी करेंगे जिसके लिए विस्तृत प्रक्रिया पृथक से आयुक्त, जनजातीय कार्य, के स्तर से जारी की जायेगी।


(सुषमा शर्मा)

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

जनजातीय कार्य विभाग


मंत्रालय

पृ.क्र./ एफ 4-89/2018/1-25

भोपाल, दिनांक 20-08-2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
7. समस्त संभागायुक्त, (राजस्व) म.प्र.।
8. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल।
9. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल।
10. राज्य सूचना एवं विज्ञान, अधिकारी NIC विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
11. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं आहरण संवितरण अधिकारी, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र.।


उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

जनजातीय कार्य विभाग